शहर की सफाई के लिए जरूरी वाहनों की सर्विस भी नहीं करा रहा निगम प्रशासन

पंक्चर होने पर अपने खर्च पर टायर की मरम्मत कराने को मजबूर वाहन चालक

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। शहर की नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त रखने में इस्तेमाल होने वाली नगर निगम की गाड़ियां खस्ताहाल हैं। सुपरसकर मशीन हो, जेसीबी या अन्य छोटी बड़ी गाड़ियां, बीते पंद्रह महीनों से किसी की भी सर्विस नहीं हुई है। टूट-फूट होने पर कलपुर्जे भी नहीं बदले जा रहे। खस्ताहाल वाहनों को दुरुस्त कराने के बजाय अधिकारी केवल हुक्म बजाने का तुगलकी आदेश सुना देते हैं, बेचारे चालक अपने खर्च पर गाड़ियों को चलने योग्य बनवा रहे हैं। जाहिर है कि चालक तनख्वाह से तो यह काम करा नहीं सकता। जब सारे अधिकारी लूटने खाने में लगे हैं तो चालक भी कहीं न कहीं से तो खर्चा वसूल करेगा ही।

नगर निगम वाहन चालक यूनियन के अध्यक्ष परसराम अधाना ने बताया कि निगम के किसी भी वाहन की पिछले पंद्रह महीनों से सर्विस नहीं हुई है। नियमानुसार दस हजार किलोमीटर या पांच माह पर वाहन की सर्विस कराई जानी चाहिए। सर्विस नहीं कराए जाने के कारण जेसीबी, हाईवा और ट्रैक्टर भी खराब हो रहे हैं। सुपर सकर सहित छोटे-बड़े पुराने वाहनों की भी हालत खस्ता है।

अधाना बताते हैं कि निगम की वर्कशॉप में वाहनों के लिए बहुत जरूरी सामान जैसे मोबिल ऑयल, ग्रीस, ईंधन यूरिया, कूलेंट, फैन बेल्ट, जेसीबी के डोल, फिल्टर, टायर, बैटरी, ट्रॉली के बेयरिंग, हाइड्रोलिक पाइप आदि नहीं हैं। यहां तक कि टायर पंक्चर किट भी नहीं है। पंक्चर होने पर चालकों को अपना खर्च कर टायर सही करवाना पड़ता है। चालकों का दर्द यह है कि अधिकारी काम करने का फरमान तो जारी कर देते हैं लेकिन खस्ताहाल वाहनों को दुरुस्त कराने की बात कहे जाने पर आला अधिकारियों से कहने की सलाह देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। काम नहीं होने पर अधिकारी नाराजगी भी जताते हैं। परसराम अधाना ने निगम कमिश्नर जीतेंद्र दहिया को लिखित शिकायत देकर समस्या सुलझाने की मांग की है।

इकोग्रीन के अनफिट वाहन दौड़ रहे सड़कों पर

स्मार्ट सिटी का कचरा प्रबंधन करने की जिम्मेदार इकोग्रीन कंपनी पर मानो प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और वाहनों के मानक लागू नहीं होते। इस कंपनी के सैकड़ों वाहन फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के बिना दौड़ रहे हैं। यदि इन वाहनों से कोई हादसा होता है तो इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा।

आरटीओ नियमों के मुताबिक किसी भी कॉमर्शियल वाहन को प्रतिवर्ष मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। प्रदूषण नियंत्रित होने का सर्टिफिकेट भी हर तीन महीने बाद लेना जरूरी है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन सड़क पर नहीं चल सकते। यदि चलते हुए पाए गए तो मोटा जुर्माना लगता है। इकोग्रीन के सैकड़ों वाहनों में से अनेक तो बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट तो किसी भी वाहन का नहीं है। सड़क पर दौड़ रहे निजी कंपनी के इन सैकड़ों वाहनों पर इतनी मेहरबानी क्यों?

प्रशासक वर्ग नहीं रोकना चाहता नगर निगम का भ्रष्टाचार

अनाधिकृत कर्मचारियों से भरवाई जा रही मेजरमेंट बुक, हेराफेरी के लिए नहीं होते जिम्मेदार

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पहले दो सौ करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता, अब एनआईटी के वार्ड छह में दो गलियों के निर्माण का दो बार भुगतान किए जाने का आरोप, नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारनामे लगातार खुल रहे हैं। दरअसल नगर निगम को चलाने वाला प्रशासक वर्ग भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहता। शायद यही कारण है कि पूर्व कमिश्नर ने भ्रष्टाचार रोकने के जो उपाय किए थे उनके जाते ही वर्तमान प्रशासक वर्ग ने उसे दरकिनार कर दिया।

वार्ड नंबर छह निवासी राम सिंह ने हाल ही में शिकायत की है कि इस वार्ड की गली नंबर छह का निर्माण मार्च 2019 में 13 लाख रुपये की लागत से किया गया था। इसी गली का नवंबर 2019 में दोबारा निर्माण दिखा फिर से 12 लाख रुपये की बंदरबांट की गई। दरअसल इस मामले में निर्माण कार्य की मेजरमेंट बुक (एमबी) आउटसोर्स में भर्ती अभियंता ने भरी थी। मालूम हो कि आउटसोर्स के कर्मचारी की कोई जवाबदेही नहीं होती। कुछ सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन एमसीएफ कमिश्नर यश गर्ग को इस गोरखधंधे की जानकारी दी थी। इस पर उन्होंने 11 मई 2020 को पत्र जारी कर आउटसोर्स के कर्मचारियों के एमबी भरने पर रोक लगा दी थी। उनके आदेश के मुताबिक केवल नियमित जूनियर इंजीनियर ही एमबी भर सकता है। यदि जूनियर इंजीनियर का पद खाली है तो पद भरे जाने तक ही असिस्टेंट इंजीनियर एमबी भरेगा। इस व्यवस्था का पालन सख्ती से किए जाने और गलती होने पर संबंधित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिम्मेदारी होना तय किया गया था। यश गर्ग के स्थानांतरण के बाद यह व्यवस्था कुछ दिन तो ठीक से चली लेकिन वर्तमान में फिर वही ढर्रा शुरू हो गया है। आउटसोर्सिंग के इंजीनियर एमबी भर रहे हैं। इन इंजीनियरों को एमबी भरने का आदेश और अधिकार दिया जाना नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की प्रशासनिक वर्ग की मंशा को ही दर्शाता है।

दरअसल बिना जवाबदेही वाले यह आउटसोर्स कर्मचारी वित्तीय अनियमितता और हेराफेरी के कार्यों में नियमित अधिकारियों की रक्षा ढाल के रूप में काम करते हैं। भ्रष्टाचार साबित होने पर अधिक से अधिक इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है और अधिकारी सीधे तौर से जवाबदेह नहीं होकर बच जाते हैं। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर जीतेंद्र दहिया से मज़दूर मोर्चा ने उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उनका फोन नहीं उठा। उनका पक्ष मिलने पर प्रकाशित किया जाएगा।

मीटिंग, ईटिंग व चीटिंग का सिलसिला जारी पार्किंग व जाम की समस्या का समाधान अभी दूर है

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सड़कों पर अवैध पार्किंग की वजह से बनने वाली जाम की स्थिति से निपटने के लिये बीते कई वर्षों से मीटिंगों का सिलसिला चला आ रहा है। बीते एक साल में ही ऐसी कई मीटिंगे हो चुकी हैं। इनमें कभी क्रेन द्वारा वाहन उठाने का ठेका देने की बात होती रही है तो कभी सड़क किनारे पीली पट्टियां खींचने की। 25 वर्ष पूर्व इसी तरह की एक मीटिंग का भागीदार यह संवाददाता भी रह चुका है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डीसीपी ट्रैफ़िक नीतीश अग्रवाल आईपीएस, एसीपी विनोद कुमार तथा एफएमडीए के अधिकारियों ने 15 मार्च को एक मीटिंग का आयोजन किया।

मीटिंग के बाद जानकारी दी गई कि इन अफसरों ने जाम से मुक्ति पाने की रणनीति बना ली है। यानी कि अब तक सब कुछ बिना ही किसी रणनीति के चलता आ रहा है। इस रणनीति के अनुसार सबसे बड़ा काम इन अफसरों ने पार्किंग के लिये 14 स्थल चुनने का काम किया है। बहुत बड़ा काम किया है; पूरे शहर को इसके लिये इनका आभार प्रकट करना चाहिये। अब इन स्थलों पर लेवलिंग तथा टाइल्स आदि लगाने का काम शुरू किया जायेगा। गौरतलब है कि धरातल पर अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ 'किया जायेगा' कब किया जायेगा, कैसे किया जायेगा, टेंडर कब निकाले जायेंगे आदि-आदि कोई पता नहीं।

पार्किंग स्थल बनने के बाद सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को उठाकर यार्ड में ले जाया जायेगा। जो पुलिस सड़कों पर अवैध रूप से सड़क घेरे वाहनों के चालान तक तो कर नहीं सकती उस पुलिस को वाहन कौन उठाने देगा? यदि पुलिस की नीयत वास्तव में ही कुछ करने की होती तो वह अवैध पार्किंग के चालान पर चालान करती चली जाती। दिन भर में 100-200 तो क्या 1000-2000 भी करने पड़े तो क्या दिक्कत है? इन महान रणनीतिकारों ने शेखचिल्ली की तरह मुफ्त फेरी सर्विस उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इनके अनुसार पार्किंग स्थल में गाड़ी खड़ी करने के बाद लोगों को पैदल न चलना पड़े इसके लिये मुफ्त में छोटी गाड़ियां सम्भवत: बैट्री रिक्शा आदि चलाई जायेगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था भाड़े के बदले भी यात्रियों को पर्याप्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न करा सके वह भला कैसी मुफ्त फेरी व्यवस्था उपलब्ध करा पायेगी, समझना कठिन नहीं है।

रिश्वत लेता एचएसआईआईडीसी अधिकारी विकास चौधरी गिरफ्तार, इसके पालनहार नेता व अधिकारी कब पकड़े जाएंगे

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया एचएसआईआईडीसी का संपदा अधिकारी विकास चौधरी ऊपर तक मोटी रकम पहुंचाने के कारण ही इस पद पर लंबे समय से बना हुआ था। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पहले भी दो बार विजिलेंस टीम द्वारा पकड़े जाने के बावजूद उसे संपदा अधिकारी जैसे मलाईदार पद पर नियुक्ति दी गई।

फर्जीवाड़ा करने का इसका इतिहास तो पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गया था। 1993 की इसकी स्नातक डिग्री में इसका नाम जगदीश एल रंजन था और बारह साल बाद की इसकी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में नाम विकास चौधरी हो गया।

एचएसआईआईडीसी में इसने नियमों के विपरीत जाकर प्लॉट आवंटन में हेराफेरी कर करोड़ों रुपये कमाए। आरएंडआर पॉलिसी के तहत एक व्यक्ति को केवल एक ही प्लॉट अलॉट किया जा सकता है लेकिन विकास चौधरी ने गांव चंदावली के हरि सिंह को जोन नंबर चार में प्लाट नंबर 270 और जोन नंबर छह में प्लॉट नंबर 583 आवंटित कर दिया। यही नहीं विकास चौधरी प्लॉटों पर कब्जा करवा कर खाली करवाने के नाम पर मालिकों से वसूली भी करता है। सेक्टर 68 ए में एक प्लॉट पर आजाद टोंगर बलराम और राकेश टोंगर ने कब्जा कर रखा था।

विकास ने मालिक से कब्जा खत्म करवाने के लिए चार लाख रुपये वसूले। महज 1.90 लाख रुपये दिए जाने पर टोंगर ने बाकी रकम मांगी, नहीं मिलने पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद मालिक ने ले दे कर दूसरा प्लॉट अलॉट करा लिया। आरएंडआर पॉलिसी के तहत एन्हेंसमेंट राशि वसूलने में भी विकास डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत खा गया। जनवरी 2017 में मुख्यालय से आरएंडआर और इंडस्ट्री प्लॉटों पर 3507 रुपये प्रति वर्ग मीटर एन्हेंसमेंट शुल्क वसूलने का आदेश जारी हुआ। गांव वालों से मिलीभगत कर उसने नोटिस नहीं जारी किए। कुछ गुर्गों से मिलकर गांव वालों से सौदा किया और जो नब्बे करोड़ रुपये एन्हेंसमेंट राशि के एचएसआईआईडीसी को आने थे उसे रोक दिया गया।

फरवरी की बजाय अक्तूबर 2017 में गांव वालों को नोटिस जारी किया और पॉलिसी के खिलाफ दो माह की ब्याज छूट भी खुद ही दे दी। इस मामले में उसने विभाग को नौ करोड़ रुपये राजस्व की हानि पहुंचाई जबकि खुद डेढ़ करोड़ रुपये डकारे। इतने भ्रष्ट कारनामे खुलने के बावजूद विकास चौधरी का इस पद पर बैठाया जाना बताता है कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा ऊपर तक तथा स्थानीय विधायकों और मंत्रियों आदि को पहुंचा कर ही इस पद पर बार बार तैनात होता रहा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।